न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 224/2014

वादी :-

1-गेनसिंह पुत्र अन्नेसिंह
जाति-रावत निवासी-चेनपुरा,
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1-रामदू पुत्र अन्ना
2-डूँगा पुत्र अन्ना
3-मदन पुत्र अन्ना
4-नेमा पुत्र अन्ना
5-जयराम पुत्र अन्ना
6-माला पुत्र कालू
समस्त जाति-रावत निवासी-चेनपुरा
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)
7-दयालराम पुत्र प्रताप
8-उगमा पुत्र प्रताप
9-मोतीराम पुत्र प्रताप
10-छोटूराम पुत्र प्रताप
सभी जाति-जाट निवासी-चेनपुरा
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)
11-राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

तारीख रजू:.11/11/2014

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 06/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-सेवरीया पटवार हल्का-सेवरीया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में वाके आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म बा0दो0, की आई हुई हैं। जिसमें वादी 1/6 हिस्से की भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं, जिसमें वादी 2/3 हिस्से की भूमि में से 1/6 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसी क्रम में वाके आराजी क्रमशः खसरा नम्बर 340 जकबा 7 बीघा 18 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 385 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 386/1 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 400 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं, जिससे वादी 1/6 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्मकार हैं। इसी प्रकार वाके आराजी खसरा नम्बर 384 रकआ 13 बीघा 13

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बिस्वा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं, जिसमे वादी 1/2 की भूमि मे से 1/6 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार हैं। उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमियों को इस वाद मे आगे विवादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित किया गया है। खसरा नम्बर 380 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा किस्म बा0दो0 को छोडकर अन्य सम्पूर्ण खसरान की भूमि में नामान्तरण दर्ज करते समय प्रतिवादी सं0 11 के अधिनस्थ कर्मचारी से बिना वादी से सम्पर्क किये एवं बिना वादी के नाम पते की जांच पडताल किये वादी का नाम नेना व नेनसिंह दर्ज कर दिया जो गलत हैं, जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम गेनसिंह है तथा वादी को अपने राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम नेना व नेनसिंह को हटवाने एवं उसके स्थान पर अपना सही नाम गेनसिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का वादी को कानूनी अधिकार है तथा वादी का सही नाम गेनसिंह होने के सर्मथन मे खसरा नम्बर 380 की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रति व वादी का पासपोर्ट, राशनकार्ड, पेनकार्ड, पहचान-पत्र जिसमें वादी का सही का नाम गेनसिंह अंकित है, इत्यादि की फोटो प्रतियॉ वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का भाग माना जाता है। विवादग्रस्त अराजियात के खसरा नम्बर 620 के राजस्व रेकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार के रूप में रामा पुत्र अन्ना का इन्द्राज किया हुआ है जा गलत एवं रोंग एन्ट्री है। जो प्रतिवादी सं0 11 के अधिनस्थ कर्मचारी ने अपनी मनमर्जी से अंकित की हैं। क्योकि वादी के पिता के जायन्दा संतान एवं उत्तराधिकारी के रूप में कुल 6 पुत्र है जो वादी एव प्रतिवादी सं0 1 से 5 हैं, जो रक्त संबंधी भाई हैं। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के भाई एवं सह खातेदार के रूप में दशार्ये गये रामा नाम की एन्ट्री एक गलत एवं मनगढन्त इन्द्राज है, जो वाद-पत्र में वर्णित अन्य विवादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड से भी साबित हैं। यदि रामा नाम का इन्द्राज सही होता तो अन्य विवादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड में रेकार्ड पर लिया जाता हैं। इस प्रकार रामा नाम की एन्ट्री एक रोंग एन्ट्री है, जिसे राजस्व रेकार्ड से विलोपित करवाने एवं राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का वादी कानूनन अधिकार है। वादी स्वयं एक काश्तकार है तथा वादी अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण एवं पालन पोषण के लिये भी उक्त काश्तकारी कार्य पर ही आश्रित होकर जीवन निर्वाह कर रहा हैं। इसलिये वादी को भूमि से सम्बनधित सरकारी काश्तकारी योजनाओं संबंधी सरकारी प्रकियाओं का निर्वाह करने में भी उसके राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों मे अलग-अलग नाम होने के कारण योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित होना पड रहा है तथा अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रडताडित भी होना पड रहा है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 11 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही है। वाद कारण दिनांक 15/07/2015 को उत्पन्न हुआ। जब वादी अपनी खातेदारी भूमि की नकले लेकर संबंधित बैंक से कृषि प्रयोजनार्थ ऋण हेतु सम्पर्क किया, तब संबंधित बैंक द्वारा वादी को अपने राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम की दुरूस्ती करवाने पर ही ऋण देने का कथन किया। इस कारण वादी को उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा है। उक्त कारणों से वादी के हक मे प्रथम दृष्टया केस साबित है। उक्त कारणों से वादी के हक में सुविधा का संतुलन है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सेवरिया में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया गया। पटवारी हल्का को आदेश दिया गया कि वास्तविक जांच की जावें। पक्षकारान् को मजमा-ए-आम में समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा बनाई गई फर्द मौका पर हस्ताक्षर किए गए। फर्द मौके के अनुसार नेनाराम का गलत इन्द्राज हैं, जो सही करना हैं। पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 620 में नेना के स्थान पर गेनसिंह के नाम की सही प्रविष्टि की जानी एवं रामा का सेवन से नाम लिखा गया हैं। उसे हटाया जाना तथा खसरा नम्बर 340, 385, 386/1, 400 एवं 384 में नेनसिंह के स्थान पर गेनसिंह का नाम दुरूस्त किया जाने एवं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-सेवरीया पटवार हल्का-सेवरीया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 620 में नेना के स्थान पर गेनसिंह के नाम की सही प्रविष्टि की जाती हैं। रामा का सेवन से नाम लिखा गया हैं। उसे हटाया जाता हैं। खसरा नम्बर 340, 385, 386/1, 400 एवं 384 में नेनसिंह के स्थान पर गेनसिंह का नाम दुरूस्त किया जावें एवं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावें कि प्रार्थी का नाम गेनसिंह दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 06/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर सेवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :-

1-गेनसिंह पुत्र अन्नेसिंह
जाति-रावत, निवासी-चेनपुरा,
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1-समदू पुत्र अन्ना
2-डूँगा पुत्र अन्ना
3-मदन पुत्र अन्ना
4-नेमा पुत्र अन्ना
5-जयराम पुत्र अन्ना
6-माला पुत्र कालू
समस्त जाति-रावत निवासी-चेनपुरा
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)
7-दयालराम पुत्र प्रताप
8-उगमा पुत्र प्रताप
9-मोतीराम पुत्र प्रताप
10-छोटूराम पुत्र प्रताप
सभी जाति-जाट निवासी-चेनपुरा
ग्राम पंचायत-सेवरीया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)
11-राजस्थान सरकार जरीये
तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

मु0न0 :रा0वा0 स0:224/2014

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं सपठित
धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-सेवरीया पटवार हल्का-सेवरीया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में पटवारी की मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 620 में नेना के स्थान पर गेनसिंह के नाम की सही प्रविष्टि की जाती हैं। रामा का सेवन से नाम लिखा गया हैं। उसे हटाया जाता हैं। खसरा नम्बर 340, 385, 386/1, 400 एवं 384 में नेनसिंह के स्थान पर गेनसिंह का नाम दुरूस्त किया जावें एवं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को लिखा जावें कि प्रार्थी का नाम गेनसिंह दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण

(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	04	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	06	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
	13	00	मिजानः–		
मिजानः–					

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner